



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेंट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-09.12.2022

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा भीमनगर स्थित मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में वांछित अभियुक्त दीपक उर्फ गोलू गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के पर्यवेक्षण में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0573/2022 धारा 153(A)/295A भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक उर्फ गोलू पुत्र स्व0 गणेश शाहनी निवासी-ग्राम कादीपुर थाना शिवपुर कमिश्नरेंट वाराणसी को आज दिनांक-09/12/22 को समय करीब 11.04 बजे डीकोस्टा होटल के सामने फुलवरिया रोड से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-05/12/2022 को वादी श्री राजेश कुमार उर्फ पुलपुल पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी-भीमनगर सुअर बाड़ा थाना कैण्ट जिला वाराणसी ने अपने गांव में वरुणा नदी के किनारे पीपल के पेड़ में बीर बाबा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को असामाजिक व अवांछनीय अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने व उन्माद फैलाने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त कर देने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना कैन्ट में मु0अ0सं0-0573/2022 धारा 153(A)/295A भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे की विवेचना उ0नि0 भोला मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक उर्फ गोलू पुत्र स्व० गणेश शाहनी निवासी-ग्राम कादीपुर थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र करीब 23 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ०नि० भोला मिश्रा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ०नि० हिमांशु त्रिपाठी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.का० जितेन्द्र यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.का० धीरेन्द्र कुमार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट

वाराणसी